

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक-सी, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800023
दूरभाष:0612 2294201 फ़ैक्स:2294202, ई-मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक-01 / प्रा०आ०-84 / 2013(खण्ड) / 2911 / आ०प्र० पटना-23, दिनांक-24.08.2026
प्रेषक,

संतोष कुमार मल्ल, मा०प्र०से०
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय: बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नावों के सुरक्षित परिचालन तथा ओवरलोडिंग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के फलस्वरूप राज्य के कतिपय जिलों के निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। संबंधित जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आबादी के निष्क्रमण एवं आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से नावों का परिचालन कराया जा रहा है।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नावों के परिचालन में नावों के लदान क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता है एवं ओवरलोडिंग की जाती है। ऐसी परिस्थिति में नाव दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः आवश्यक है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नावों के सुरक्षित परिचालन हेतु निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए:-

1. परिचालित की जा रही नावों पर लाल झंडा लगा दिया जाए एवं यह अंकित करा दिया जाए कि “यह राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क सेवा है”।
2. नावों पर ओवरलोडिंग न हो इसके लिए अंचलों तथा थानों को सतर्क कर दिया जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु एक स्थल/घाट पर एक से अधिक नावों का परिचालन किया जा सकता है। आवश्यक होने पर नाव परिचालन स्थल/घाट पर ओवरलोडिंग रोकने हेतु स्थानीय चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति थाना स्तर से की जाए।
3. नावों पर लदान क्षमता अंकित रहे एवं लदान क्षमता के अनुरूप नावों पर एक वाटर लाईन पेंट से अंकित कर दी जाए ताकि लोगों को ज्ञात हो सके कि जब तक उक्त वाटर लाईन पानी की सतह से ऊपर है, तब तक यात्रा निरापद है।
4. नाव परिचालन हेतु प्रारंभिक स्थल (Start Point) एवं गंतव्य स्थल (Destination Point) को चिन्हित करते हुए निर्धारित मार्ग पर ही नाव का परिचालन कराया जाए। समय-समय पर इस तथ्य की जाँच होती रहे कि उपर्युक्त स्थलों पर नावों का परिचालन हो रहा है या नहीं। उस क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक की जवाबदेही होगी कि नावों का परिचालन होता रहे।

5. चिन्हित स्थलों के अनुसार ही परवाना निर्गत किया जाए।
6. चिन्हित स्थलों की सूची संबंधित घाट/पंचायत भवन/अंचल कार्यालय इत्यादि सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाए।
7. प्रत्येक नाव का अलग-अलग लॉग बुक खोला जाए। लॉग बुक नाव पर उपलब्ध रहे। हल्का कर्मचारी/प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक उक्त नाव परिचालन का प्रत्येक तीन दिन में एक बार लॉग बुक का सत्यापन करेंगे।
8. नावों पर सुरक्षा उपकरणों जैसे लाइफ जैकेट, छल्ले, टार्च, रस्सी, लंगर, बांस की लगगी इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
9. सूर्यास्त के पश्चात् नाव संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाय।
10. निबंधित/वैध नाविकों के द्वारा ही नावों का संचालन सुनिश्चित कराया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,


प्रधान सचिव 24/8/26